



298

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)



II/निग0/सीधी/2018/0836

श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी राजनारायण सिंह निवासी ग्राम गोड़हाटोला तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0।

आवेदक

बनाम्

- 1- चंद्रशेखर सिंह तनय दर्शन सिंह।
- 2- राजप्रताप सिंह तनय हिमांचल सिंह दोनों निवासी ग्राम गोड़हाटोला तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0।
- 3- म0प्र0 शासन।

अनावेदकगण

अधि०क्षी अंजनी कु० सोनी,
द्वारा वेष्टा 10.02.18

काय० आफ कोर्ट
के लिये ग्वालियर म० प्र० न्यायालय
सीधी सर्किट कोर्ट

निगरानी विरुद्ध आदेश निर्णय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0 के प्रकरण क० 21/निगरानी/2012-13 में परित आदेश दिनांक 29/09/2017 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:-

यह कि भूमि खसरा मूलांक नं० 270 रकवा 0.96हे० स्थित ग्राम गोड़हाटोला ज०न० 264 तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के मालिक भूमिस्वामी म0प्र0 शासन राजस्व विभाग था जिस पर श्रीमती निर्मला सिंह (आवेदिका) के बाबा ससुर मर्दन सिंह के द्वारा वादित भूमि में मकान निर्माणकर काबिज दाखिल थे जिसमें आवेदिका व आवेदिका का परिवार तीन पुस्तों से निवासरत थे जिसका उल्लेख भू अभिलेखों में वर्ष 1983-84 में प्रविष्टि बतौर अतिकमांक के रूप में दर्ज थी जिसके आधार पर आवेदिका ने "म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोक्त की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध)

निर्मला सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक. II / निग0 / सीधी / 2018 / 0836

जिला सीधी

श्रीमती निर्मला सिंह / चंद्रशेखर सिंह

(1)	(2)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री जय प्रकाश सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 21/ निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29.09.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>